

न्यायालय :-वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय – बैहर

S.T.No./38/2017

Filling No. S.T./93/2017

CNR-MP5005-5000230-2017

संस्थित दिनांक-26.08.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन ।

// विरुद्ध //

इन्द्रपाल उर्फ इन्द्रकुमार उर्फ लाला उर्फ पाला उम्र 24 वर्ष  
पिता जीवनलाल वैध निवासी-ग्राम कचनारी थाना तहसील बिरसा  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) अभियुक्त ।

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।  
श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

**:: आदेश ::**

(धारा 232 द.प्र.सं. के तहत आज दिनांक 29 जून 2018 को पारित)

1. अभियुक्त इन्द्रपाल के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376 (2) (K) एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 पाक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 05.01.2012 के करीब 10:00 बजे से दिनांक 06.02.2015 के मध्य की अवधि में ग्राम दरबारीटोला अंतर्गत थाना बिरसा से अवयस्क अभियोक्त्री को (जिसका नाम रेसियो **Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684** एवं साक्षी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 3566 तथा **Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.**) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके प्राकृतिक संरक्षक की सम्मति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से पूना

(महाराष्ट्र) ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया तथा उसके साथ बलात्संग अथवा पेनिट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 05.01.2012 को अभियोक्त्री कक्षा नवमी की छात्रा थी। उक्त दिनांक को अभियोक्त्री कबड्डी खेलने जाती हूं कहकर घर से निकली जो घर वापस नहीं आयी। आसपास-पड़ोस में तलाश किया, नहीं मिलने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकार अपने साथ भगाकर ले जाए जाने की शिकायत/रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में अपराध क्रमांक 03/2014 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। तत्पश्चात् अभियोक्त्री दिनांक 06.02.2015 को दरबारीटोला आयी तो अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री को आरक्षी केन्द्र बिरसा लेकर आया, जहाँ पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा निर्मित किया गया, अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन अभिलिखित कर, सहमति प्राप्त कर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए गए एवं आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है। उसका यह बचाव है कि वह निर्दोष है उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. अवधार्य प्रश्न :-

1. क्या घटना दिनांक 05.01.2012 के करीब 10:00 बजे ग्राम

दरबारीटोला अंतर्गत थाना बिरसा से अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना पूना (महाराष्ट्र) ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया ?

2. क्या दिनांक 05.01.2012 से दिनांक 06.02.2015 के मध्य की अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ पूना ले जाकर यह जानते हुये कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, व्यपहरण कारित किया ?
3. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ पूना (महाराष्ट्र) में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया ?
4. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के ऊपर पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कारित कर पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध कारित किया ?

**अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

5. सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन बयान में अपनी आयु लगभग 18 वर्ष बताई है। उक्त संबंध में अभिभावक भागचंद (अ.सा.-2) ने तदाशय का कथन किया है। विवेचक एस.डी.ओ.पी. लोकेश कुमार सिन्हा (अ.सा.-5) ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री के स्कूल का दाखिल-खारिज रजिस्टर जप्त नहीं किया था न ही मूल अंकसूची अभिलेख पर प्रस्तुत की है। एस.डी.ओ.पी. सिन्हा ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री का आसिफिकेशन टेस्ट भी विवेचना के दौरान नहीं कराया है।

6. अभिलेख पर मात्र अभियोक्त्री की अंकसूची की फोटोकापी संलग्न है जिसमें उसकी जन्मतिथि 12.10.1995 दर्ज है। विधि के अंतर्गत फोटोकापी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन ने अभियोक्त्री के विद्यालय के प्राचार्य का न तो परीक्षण कराया है न ही स्कॉलर रजिस्टर पेश किया है और न ही अभियोक्त्री के एडमिशन फार्म की मूल प्रति अभिलेख पर पेश किया है।

7. उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में असफल रहता है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष के नीचे की थी।

**अवधार्य प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निष्कर्ष :-**

8. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने आरोपी के विरुद्ध बलात्कार अथवा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असावृत के संबंध में अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

9. सर्वप्रथम लैंगिक अपराध के संबंध में विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है जिसमें निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

**The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .**

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She

is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a



strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

"The testimony of victim in cases of sexual offences is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused. Where her testimony inspires confidence and is found to be reliable seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule in such cases amounts to adding insult to injury why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation be viewed with doubt, disbelief or a suspicion. The court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience. Since she is a witness who is interested in the outcome of the charge leveled by her but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused".

**10.** अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

**11.** अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने बयान में आरोपी की पहचान संदेह के परे स्थापित किया है। आगे व्यक्त किया है कि दिनांक

04.01.2012 को अन्य औरत के साथ कमाने-खाने के लिये पूना गई थी तथा पूना में बिल्डिंग में मजदूरी का कार्य करती थी। आगे व्यक्त किया है कि पूना में उक्त कार्यस्थल पर आरोपी मिला था जो कंपनी में कार्य कर रहा था बाद में अभियोक्त्री ने मंदिर में आरोपी से शादी कर ली जिससे दो बच्चे पूना में उत्पन्न हुए तथा अभियोक्त्री आरोपी के साथ संयुक्त रूप से प्रवासरत थी। आगे यह व्यक्त किया है कि 3 साल बाद वह वापिस घर आयी थी तब बिरसा पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे बयान के लिये ले जाया गया था जहाँ उसने कथन लिपिबद्ध कराई थी। अभियोक्त्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि जब वह सन् 2012 में आरोपी के साथ पूना गई थी तो उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष थी।

**12.** अभियोजन ने अभियोक्त्री को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है लेकिन अभियोक्त्री ने अपने पुलिस बयान प्र.पी. 2 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है। अभियोक्त्री ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 06.02.2015 को बिरसा वापिस आने पर पुलिस ने दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार किया था तथा उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया था। जिरह में यह स्पष्ट किया है कि उसने आरोपी से शादी के बाद ही शारीरिक संबंध कायम किया था तथा उक्त शारीरिक संबंध उसकी मर्जी से बने थे अर्थात् अभियोक्त्री के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने वाला तथ्य सामने नहीं आया है।

**13.** इसके विपरीत भागचंद (अ.सा.-2) एवं शीला (अ.सा.-7) ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री कक्षा 9वीं की छात्रा थी, स्कूल पढ़ने जाने का कहकर गई थी, वापस नहीं आयी तब बिरसा थाने में अभियोक्त्री के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। आगे व्यक्त

किया है कि अभियोक्त्री 3 साल बाद वापस आयी थी तथा वापस लौटने पर उसने यह बताया था कि वह काम के सिलसिले में पूना चली गई थी जहाँ उसने आरोपी से शादी कर ली जिससे उसे दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं अथवा अभियोक्त्री दो बच्चों के साथ वापस आयी थी। जिरह में स्पष्ट किया है कि दिनांक 06.02.2015 को अभियोक्त्री के वापस लौटने पर पुलिस द्वारा दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 3 निर्मित किया जाना, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना तथा मौकानक्शा प्र.पी. 8 निर्मित किया जाना व्यक्त किया है। अभियोजन ने साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है लेकिन साक्षी ने अपने पुलिस बयान प्र.पी. 9 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है।

**14.** प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षियों के बयान के उतने भाग का जितने भाग से अभियोजन मामले का समर्थन होता हो, अभियोजन के पक्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। उक्त संबंध में **न्यायदृष्टांत :- “ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा ” किमिनल अपील क्रमांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.08.1996 “** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the



prosecution or defence may be accepted.

**15.** डॉ. राखी श्रीवास्तव (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 07.02.2015 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहते हुए महिला पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को लाये जाने पर उसका परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के द्वितीयक जननांग पूर्णतः विकसित थे, अंतिम माहवारी 06.02.2015 को आयी थी, अभियोक्त्री के साथ दो बच्चे भी थे, जिनकी उम्र क्रमशः 02 वर्ष एवं 10 माह माह थी। अभियोक्त्री के प्राइवेट भाग का परीक्षण करने पर उसकी वैजाईना में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी, वैजाईनल स्लाइड प्रिजर्व कर, सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंप दी थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 19 जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह साक्षी जिरह में स्थिर है।

**16.** एस.डी.ओ.पी. लोकेश कुमार सिन्हा (अ.सा.-5) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 05.01.2014 को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैहर के पद पर पदस्थ था। थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 03/2014 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. में दिनांक 06.02.2015 को थाना बिरसा में अभियोक्त्री के आने पर उसे दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 3 निर्मित किया जाना, अभियोक्त्री को उसे अभिभावक के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी. 4 निर्मित किया जाना, साक्षीगण के कथन अभिलिखित किया जाना, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 11 निर्मित कर गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी. 12 आरोपी के परिजन को दिया जाना तथा आरोपी को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाना बताया है। तत्पश्चात् आरोपी की स्लाइड जप्ती पत्र प्र.पी. 13 निर्मित कर जप्त किया जाना, जप्तशुदा स्लाइड को एफ.एस.एल. सागर प्रेषित किया

जाना व्यक्त किया है।

**17.** इसके विपरीत विवेचना से संबंधित साक्षी राजेशधर दुबे (अ.सा.-8) स.उ.नि. ने व्यक्त किया है कि दिनांक 05.01.2014 को थाना बिरसा में पदस्थ रहने के दौरान गुम इंसान क्रमांक 02/2012 की कायमी किया जाना तथा थाना प्रभारी के आदेश पर अपराध क्रमांक 03/14 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. के तहत अपराध कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 19 कायम किया जाना एवं घटनास्थल का मौकानक्शा निर्मित किया जाना व्यक्त किया है।

**18.** इसी प्रकार महिला आरक्षक समुदा वल्के (अ.सा.-6) ने व्यक्त किया है कि थाना बिरसा के अपराध क्रमांक 03/2014 के तहत अभियोक्त्री को मुलाहिजा हेतु प्र.पी. 10-ए का फार्म भरकर अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। इस साक्षी ने अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाना एवं स्लाईड प्राप्त किया जाना प्रमाणित किया है तथा जप्त स्लाईड थाना बैहर जाकर एस.डी.ओ. पी. कार्यालय में प्रधान आरक्षक चित्रराज को जप्त कराया जाना व्यक्त की है। उक्त साक्षीगण ने विवेचना को फार्मल रूप से प्रमाणित किया है लेकिन उक्त साक्षियों के कथन के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है अर्थात् अभिलेख पर आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने वाला (Incriminating) तथ्य सामने नहीं आया है।

**19.** उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (के) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। फलस्वरूप आरोपी **इंद्रपाल उर्फ इंद्रकुमार उर्फ पाला पिता जीवनलाल वैद्य को भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 376 (2) (K) एवं लैंगिक**

अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपी इंद्रपाल उर्फ इंद्रकुमार उर्फ पाला के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

21. मामले में जप्त संपत्ति स्लाईड अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

मेरे डिक्टेसन पर मुद्रित।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

दिनांक :- 29 जून 2018